न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2016/00233 **दायरा दिनांक : 13.07.2016**

उनवान

1– बद्रीलाल पुत्र श्री गोपाललाल, जाति किराड़
2– मानसिंह पुत्र श्री गोपाललाल, जाति किराड
3– खुमानसिंह पुत्र श्री गोपाललाल, जाति किराड
4– भरोसलाल पुत्र श्री गोपाललाल, जाति किराड
5– गोविन्दलाल पुत्र श्री गोपाललाल, जाति किराड
निवासीगण कडैया छत्री, तहसील छबड़ा, जिला बारां राज0

.... अपीलांट

बनाम

1– शांति बेवा गुलजीराम, जाति मीना, निवासी गोडिया चारण, तहसील छबडा, जिला बारां राज0
2– रामनाथ पुत्र मांग्या, जाति सहरिया
3– रामदयाल पुत्र मांग्या, जाति सहरिया
4– पप्पू पुत्र मांग्या, जाति सहरिया
निवासीगण कडैया छत्री, तहसील छबड़ा, जिला बारां राज0

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 28.12.2023**

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या – 24/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 03.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिया रेस्पोडेंट नं. 1 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर कथन किया कि वादिया के स्वामित्व, कब्जे एवं मालिकाना अधिकार में आराजी खसरा नम्बर 372 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा वाके माल कडैयाछत्री, तहसील छबड़ा का 1/2 भाग बजानिब उत्तर दिशा वाके है, शेष भूमि 1/2 सहखातेदार मांग्या सहरिया की खातेदारी की है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। जिसके प्रतिवादी क्रम 6 ता 8 उत्तराधिकारी है जो मौजूदा प्रकरण के प्रोफार्मा पक्षकार है जिनके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। जिन्हें सहखातेदार होने से पक्षकार बनाया गया है।

3 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 03.06.2016 से वादिया का वाद स्वीकार किया। आराजी ग्राम कडैयाछत्री, तहसील छबड़ा की आराजी खसरा नम्बर 372 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा के 1/2 भाग पर जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण 1 ता 5 को पाबन्द किया जाता है कि वादिया के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करें। उक्त आराजी पर तहसीलदार छबडा रिसीवर चल रहे हैं आज से रिसीवर समाप्त किया जाता है, तहसीलदार छबडा वादिया को 1/2 हिस्से पर कब्जा दिया जावे। जमाशुदा रिसीवर की राशि वादिया को भुगतान की कार्यवाही करें। उपस्थित आये प्रतिवादी सं0 कमशः 6, 7, 8 रामनाथ, रामदयाल, पप्पूलाल पुत्र मांग्या वगैरा, जाति सहरिया जिला बारां को राजस्थान सरकार द्वारा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आदिवासी सहरिया क्षेत्र घोषित होने के कारण इन्होंने मांग की है तहसीलदार छबडा प्रतिवादी सं0 6, 7, 8 को भी उक्त आराजी के शेष 1/2 हिस्से पर कब्जा दिलावे। तद्नुसार डिक्री परचा जारी किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

4 अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.06.2016 खिलाफ कानून होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं दस्तावेजात का कानून के अनुसार विवेचन नहीं करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को बिना जवाबदेही का अवसर दिये बिना अपीलान्ट्स को सुने बिना उक्त निर्णय व डिक्री पारित करने में भारी भूल की है। अपीलान्ट/प्रतिवादी कम 1 ता 5 ने विवादित आराजी को लटूरलाल व रामप्रसाद पिसरान हरिराम, जाति राव, निवासी कडैया छत्री से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.07.1970 से खरीद की है तथा बाद खरीद से उक्त आराजी पर अपीलान्टगण का उक्त विवादित आराजी पर निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। रेस्पो० कम 2 ता 4 के पिता मांग्या पुत्र काशीलाल, जाति सहर, निवासी कडैयाछत्री से सन् 1970 में लटूरलाल व रामप्रसाद पिसरान हरिराम, जाति राव, निवासी कडैयाछत्री ने खरीद की थी। लेकिन अब रेस्पो० कम 2 ता 4 के मन मे बेईमानी आ जाने से मनगढ़न्त एवं मिथ्या तथ्यों के आधार पर असली जाति सहर को छिपाते हुये अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद पेश किया है जो काबिल निरस्तनीय है। यह कि अपीलान्टगण का उक्त आराजी पर बाद खरीद से निरन्तर कब्जा काश्त बिना रोक टोक के निर्बाध रूप से चला आ रहा है। इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने गोर न करके उक्त निर्णय व डिक्री पारित की है जो काबिल निरस्तनीय है। पूर्व में मांग्या द्वारा एक वाद सं0 33/84 न्यायालय एस.डी.एम. छबडा के यहां पेश किया था जो डिक्री किया गया था जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में पेश की थी जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा खारिज फरमा दिया था। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री में अवैधानिक तरीके से जो बेदखली का आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 03.06.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा बउनवान मुकदमा शांतिबाई बनाम बद्रीलाल वगैराह वाद अन्तर्गत 188 आर0 टी0 एक्ट वाद संख्या 24/15 निरस्त फरमाया जावे तथा रेस्पो० को पाबन्द फरमाया जाये कि विवादित आराजी वाके कडैयाछत्री, तहसील छबड़ा की खसरा नं0 372 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा के 1/2 भाग से अपीलान्ट/प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें तथा प्रार्थीगण/अपीलांट को शांतिपूर्वक काश्त करता रहने देवे।

5 अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

6 हमने अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया व प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया ।

7 अधीनस्थ न्यायालय में वादिया रेस्पोडेंट द्वारा एक बाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा द्वारा दिनांक 03.06.2016 को निर्णय पारित किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में यह कथन किया है कि पूर्व में मांग्या द्वारा एक वाद सं0 33/84 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा के यहां पेश किया था जो डिक्री किया गया था जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में पेश की थी जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा खारिज फरमा दिया था। इस कम में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा की पत्रावली का अवलोकन करने पर पत्रावली में संलग्न दस्तावेज न्यायालय हाजा की नकल आदेशिका निर्णय दिनांक 21.01.2015 से पाया गया कि इस वाद से सम्बन्धित अपील पूर्व में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.01.2015 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दी गई थी। जिसकी अपील संख्या 113/2013 उनवान बद्रीलाल बनाम शांतिबाई है। इस न्यायालय द्वारा उक्त अपील जिला अभिलेखागार, कोटा से मंगवायी गई। अपील संख्या 113/2013 निर्णय दिनांक 21.01.2015 का अवलोकन करने पर पाया गया कि **अपील संख्या 113/2013 (पूर्व अपील) तथा अपील संख्या 251/2016 (नई अपील) दोनों के सभी उनवान समान**

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

है साथ ही दोनों की विवादग्रस्त आराजी एक ही ग्राम कडैयाछत्री, तहसील छबड़ा की आराजी खसरा नम्बर 372 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा भी समान है। अतः दोनों अपीलें अपील संख्या 113/2013 (पूर्व अपील) तथा अपील संख्या 251/2016 (नई अपील) धारा 11 सी.पी.सी. रेसज्यूडीकेटा (पूर्व न्याय के सिद्वांत) से बाधित है। ऐसी स्थिति में जब अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा द्वारा पूर्व में अपने प्रकरण संख्या 08/2010 पर निर्णय दिनांक 29.04.2013 को पारित कर दिया था तो फिर पुनः नया वाद प्रकरण संख्या 24/2015 दर्ज कर नये सिरे से निर्णय दिनांक 03.06.2016 को पारित करने में वैधानिक त्रुटि की है।

8 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.06.2016 रेसज्यूडीकेटा (पूर्व न्याय के सिद्वांत) से बाधित होने के कारण खारिज किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित प्रकरण संख्या 8/10/दावा दायरा दिनांक 27.01.2010 उनवान शांतिबाई बनाम बद्रीलाल निर्णय व डिक्री दिनांक 29.04.2013 यथावत रखा जाता है।

9 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/12/2023

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– बद्रीलाल पुत्र श्री गोपाललाल, जाति किराड़
2– मानसिंह पुत्र श्री गोपाललाल, जाति किराड
3– खुमानसिंह पुत्र श्री गोपाललाल, जाति किराड
4– भरोसलाल पुत्र श्री गोपाललाल, जाति किराड
5– गोविन्दलाल पुत्र श्री गोपाललाल, जाति किराड
निवासीगण कडैया छत्री, तहसील छबड़ा, जिला बारां राज0

.... **अपीलांट**

बनाम

1– शांति बेवा गुलजीराम, जाति मीना, निवासी गोडिया चारण, तहसील छबडा, जिला बारां राज0
2– रामनाथ पुत्र मांग्या, जाति सहरिया
3– रामदयाल पुत्र मांग्या, जाति सहरिया
4– पप्पू पुत्र मांग्या, जाति सहरिया
निवासीगण कडैया छत्री, तहसील छबड़ा, जिला बारां राज0

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं **2016/00233**
मु.द.नं0 **24/2015**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, छबडा**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **03.06.2016**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **18 माह 10 सन् 2023**

श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक अपीलांट की ओर से, **रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।**

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.06.2016 रेसज्यूडीकेटा (पूर्व न्याय के सिद्वांत) से बाधित होने के कारण खारिज किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित प्रकरण संख्या 8/10/दावा दायरा दिनांक 27.01.2010 उनवान शांतिबाई बनाम बद्रीलाल निर्णय व डिक्री दिनांक 29.04.2013 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **28 माह 12 सन् 2023** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)